[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

MINITRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, 3rd January, 2020

G.S.R. .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 203 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with section 469 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall be applicable in respect of financial years commencing on or after 1st April, 2020.

2. In the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 (herein after referred to as said rules), for rule 8A, the following shall be substituted as under:-

"8A. Every private company which has a paid up share capital of ten crore rupees or more shall have a whole-time company secretary.".

3. In the said rules, in rule 9 of the said rules, in sub-rule (1),

(i) after clause (b), at the end the word "or" shall be inserted.

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) every company having outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions of one hundred crore rupees or more.".

(iii) the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation :- For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that the paid up share capital, turnover, or outstanding loans or borrowings as the case may be, existing on the last date of latest audited financial statement shall be taken into account.".

[F. No. 01/05/2013-CL-V-Pt-I]

03/1/2020
KVR MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 249(E), dated the 31st March, 2014 and lastly amended vide number G.S.R. 875(E), dated the 12th September 2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 03 जनवरी, 2020

सा.का.नि........- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

2. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 (इसके पश्चात् इसे उक्त नियम कहा जाएगा), नियम 8क के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात्:-

"8क. प्रत्येक प्राइवेट कंपनी जिसकी संदाय शेयर पूंजी दस करोड़ रुपये या अधिक है, एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव रखेगी।"।

3. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) में:-

(i) खंड में खंड (ख) के बाद, अंत में शब्द "या" को अंत:स्थापित किया जाएगा,

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से एक सौ करोड़ रुपए या अधिक के बकाया ऋणों या उधारियों वाली प्रत्येक कंपनी"।

(iii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरण की अंतिम तारीख को विद्यमान संदाय शेयर पूंजी, कारबार या बकाया ऋण या उधारियां, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखा जाएगा।"।

[फा.सं.01/05/2013-सीएल-V-पार्ट-I]

के.वी.आर. मूर्ति
03/1/2020

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.249(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 875(अ), तारीख 12 सितंबर, 2018 द्वारा संशोधित किए गए।

*****